प्रकीर्ण वाद संख्या १६७/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं.१७१/२००८)
श्रीमती मालती देवी आदि बनाम रामेष्ट कन्सट्रक्शन कं.
१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुई। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। ३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती मालती देवी, सत्यवीर सिंह, अन्जू सिंह, कामना सिंह व निशा सिंह द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत याचिका में दिनाँक ०६.०४.२०१२ को विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) झाँसी द्वारा याचीगण को विपक्षी सं. १ से क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षी से क्षतिपूर्ति वसूली हेतु प्रकीर्ण वाद सं. १७१/२००८ न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया जिसमें विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा क्षतिपूर्ति का एक भाग जमा किया गया और न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध विपक्षी ने एफ.ए.एफ.ओ. सं. २२०५/२०१९ माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक १६.०९.२०१९ को निम्न आदेश पारित किया गया है-

> **2. The Tribunal's judgment dated 6.4.2012 has been brought into challenge. On the basis of the permit, he now contends that unfortunately before the Tribunal, the permit and the fitness certificate were not filed. He came to know about the litigation when execution was filed against him.**
> **3. Before this Court, an application under Order 41 Rule 27 of C.P. Code 1908 was filed. This Court had requested Sri Ajay Singh to inquire from the Insurance Company namely United India Insurance Company Limited and his enquiry has been answered. He has already sent the permit and fitness certificate issued by R.T.O., Jhansi, and the report testified that the permit and fitness certificate was there.**
> **4. In that view of the matter without further delving into the issue, findings of fact that there was no permit is set aside. The judgment shall now been executable as per the provisions of Motor Vehicles Act, 1988, against respondent nos. 1 and 2 jointly and severally. The Insurance company shall indemnify the owner who might have deposited certain amount and rest of the amount be deposited by the Insurance company.**

प्रार्थीगण ने प्रकरण में जमा धनराशि प्रार्थीगण/याचीगण के पक्ष में रिलीज किये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने समर्थन में ४सी२ शपथपत्र श्रीमती मालती देवी, ५सी२ शपथपत्र कामना सिंह व अपने-अपने बैंक खाते व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद व एम.ए.सी.पी. सं.१७१/२००८ श्रीमती मालती देवी आदि बनाम मै. रामेष्ट कन्शट्रक्शन कम्पनी की पत्रावलियों व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनाँकित ०६.०४.२०१२ के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण द्वारा विपक्षी सं. १ के विरूद्ध ₹ १७,८७,६८० मय ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ को ₹ ६,८७,६८० प्राप्त होने थे, जिसमें से ₹ ३,००,००० उसके नाम तीन साल के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में रखे जाने है। शेष प्रतिकर की राशि में याची सं. २ को ₹ २,००,००० प्राप्त होने हैं तथा याची सं. ३ लगायत ५ प्रत्येक को ₹ तीन-तीन लाख प्राप्त होने हैं। इसी अनुपात में याचीगण को उपरोक्त धनराशि पर ब्याज भी प्राप्त होना है। मूल पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं. ४२५/२०१६ मैं. रामेष्ट कन्शट्रक्शन कं. बनाम श्रीमती मालती देवी एवं ५ अन्य में पारित आदेश दिनाँकित २५.०७.२०१९ की प्रति व एफ.ए.एफ.ओ. सं. २२०५/२०१९ मैं. रामेष्ट कन्शट्रक्शन कं. बनाम श्रीमती मालती देवी एवं ५ अन्य में पारित आदेश दिनाँकित १६.०९.२०१९ की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनका अवलोकन

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 15:05:49 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

किया गया। कार्यालय आख्या के अनुसार पी.एन.बी. झोकनबाग, झाँसी द्वारा स्टेटमेन्ट दिया गया है जिसके अनुसार ₹ ९,०२,५१० जमा है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिकर की धनराशि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. में पारित आदेश के अनुपालन में जमा कराई गई है। प्रार्थीगण श्रीमती मालती देवी व कामना सिंह ने अपने-अपने शपथपत्रों में यह कथन किया है कि उक्त वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नही है और न ही विचाराधीन है। 8 वर्ष पश्चात धनराशि को सावधि जमा खाते में रखे जाने का कोई औचित्य नही बनता है, अतः मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याचिया सं. १ को प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि उसे नकद दिलाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त एफ.ए.एफ.ओ. व न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट प्राप्त करने के अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १७१/२००८(प्रकीर्ण वाद सं. १६७/२०२० श्रीमती मालती देवी आदि बनाम मैं. रामेष्ट कन्शट्रक्शन कं.) के प्रकरण में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicatn/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Malti Devi	347196	38	Elect. Mode RTGS/NEFT	1826001700000371	PNB Bank Hathras, Sadabad Gate Hathras	PUNB0182600
2. Satyaveer Singh	100991	11	Elect. Mode RTGS/NEFT	0246101034962	Canara Bank Hathras Main	CNRB0000246
3. Smt. Anjoo Singh	151441	17	Elect. Mode RTGS/NEFT	1826000100603067	PNB Bank Hathras, Sadabad Gate Hathras	PUNB0182600
4. Kamna singh	151441	17	Elect. Mode RTGS/NEFT	0709000104298536	PNB Bank Sadar Bazar Jhansi Cantt	PUNB0070900
5.Nisha singh	151441	17	Elect. Mode RTGS/NEFT	26870100016030	Bank of Baroda, Chakki Bazar Hathras, Sadabad Gate Hathras	BARB0BLYHAT
Total	**902510**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी